## प्रोजेक्ट पर वनमण्डल अधिकारी की विस्तृत टीप एवं निरीक्षण प्रतिवेदन–

डिप्टी जनरल मैनेजर (मार्किंग) बिरला कारपोरेशन लि0 सीमेंट डिवीजन सतना द्वारा विकय कोल ब्लाक भूमिगत खनन एवं उपरीतल उत्खनन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया।

आवेदित वनक्षेत्र एवं राजस्व वन क्षेत्र का निरीक्षण दिनांक 07.12.2011 को मेरे द्वारा किया गया। निरीक्षण के दौरान यह पाया कि विकय कोल ब्लाक द्वारा भूमिगत खनन एवं उपरीतल उत्खनन किया जावेगा वन क्षेत्र का विवरण निम्नानुसार है–

| क. | परिक्षेत्र का नाम | कक्ष कमांक | रकबा हे0में |
|---|---|---|---|
| 1 | बुढ़ार | 827 | 50.835 |
| 2 | बुढ़ार | 828 | 91.240 |
| | | **योग** | **142.075** |

राजस्व वन भूमि में कुल 17 खसरा जिसमें झुड़पी जंगल है जिसमें कुल 9.020 हे0 वन भूमि प्रभावित होगी। आवेदित क्षेत्र का कुल रकबा 151.095 हे0 है।

आवेदित वनक्षेत्र में कुल विभिन्न प्रजातियों के कुल 2957 वृक्ष है। जिसमें IV-b, & V-a श्रेणी का जंगल है एवं कक्ष कमांक 827 एवं 828 का अंश भाग ब्लैक एरिया में आता है। उक्त क्षेत्र में मुख्य रूप से साल , साजा , नीलगिरि एवं मिश्रित प्रजातियों के जंगल खड़े है। कक्ष कमांक 827 में 15 अतिकमणकारियों द्वारा वन क्षेत्र में अतिकमण किये हुए है।

कलेक्टर शहडोल द्वारा जारी प्रमाण पत्र जिसकी प्रति इस कार्यालय को कार्यालयीन पत्र क./आर. एन./1914 दि.02.04.2011 से अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 की धारा 3(1) के अनुसार आवेदित ग्राम गोपालपुर के अंतर्गत आने वाले 7 खसरा के अंतर्गत राजस्व वन क्षेत्र 3.46 हे0 है जिसमें 1.873 हे0 क्षेत्र अतिकामको द्वारा अतिकमण किया गया है। इसी प्रकार ग्राम बरतर के अंतर्गत कुल 10 खसरा आते है, जिसका रकबा 5.506 हे0 है जिसमें 4.449 हे0 क्षेत्र में अतिकामकों द्वारा अतिकमण किया गया है। (कलेक्टर शहडोल का प्रमाण पत्र संलग्न है।)

आवेदित क्षेत्र में पेड़ खड़े है। आवेदित क्षेत्र से 10 कि.मी. परिधि में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान /अभ्यारण्य एवं वन्य प्राणी कारीडोर का भाग नहीं है।

आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति की दुर्लभ/ संकटापन्न/ विशिष्ट प्रजातियॉ नही पाई जाती है। क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/ पारम्पारिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र स्थित नही है।

प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान में कोई गतिविधियॉ संचालित नही है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लंघन का प्रश्न ही नही उपस्थित होता।

क्षेत्र निरीक्षण एवं अभिलेखों के अवलोकन में पाया गया कि संस्थान द्वारा क्रय की गई निजी भूमि 81.008 राजस्व भूमि 6.521 राजस्व विभाग के आधीन वन राजस्व वन भूमि 9.020 एवं वन भूमि 142.075 हे0 कुल 239.00 हे0 भूमि प्रदाय करने की स्थिति में एक ही काम्पेक्ट पेच बन जायेगा।

अतः आवेदित क्षेत्र परियोजना हेतु संस्था को उपलब्ध कराने हेतु अनुशंसा की जाती है।

वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल